कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 636 दिनांकः– 7.6.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के खोदहर ग्राम में 132/33 के0भी0 ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1492 दिनांक 05.06.2019**

महाशय,

प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना बरही प्रखण्ड के खोदहर **मौजा** में 132/33 K.V ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की चार प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
हजारीबाग पश्चिमी	**4.04**	शून्य	4.04	**0.3**

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। **अनु0–4**
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :– अनु0–16

हजारीबाग पश्चिमी **वन प्रमंडल**

जिला	प्रखण्ड	मौजा	थाना एवं थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा हे0 में	किस्म भूमि
हजारीबाग	बरही	खोदहर	बरही/56	45	1445	4.04	अधिसूचित वनभूमि

4. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। **अनु0–21,22,23,24**
5. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। **अनु0–18**
7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रिड सब–स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। **अनु0–19**
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। **अनु0–5,6**

9. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 249 है।

10. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है **अनु0–20**

11. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है। **अनु0–9**

12. वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी ने अपने पार्ट–II के कंडिका 8 के उप कंडिका iii में प्रस्तावित वनभूमि, Eco Sensitive zone (E.S.Z) में अवस्थित होने की सूचना दी है। इस संबंध में भारत सरकार के पत्र सं0 F.No 11-596/2012-FC दिनांक 27.12.2012 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में सूचित करना है कि वैसे प्रस्ताव जो National Parks अथवा wild Life Sanctuary के 10 किमी0 radius (E.S.Z) में अवस्थित है परन्तु जिसके लिए Enviromental Clearance की आवश्यकता नहीं है, के लिए N.B.W.L से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक 1055 दिनांक 11.07.2017 द्वारा प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। **अनु0–17**

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–10**

15. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के ***पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011*** के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि ***"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"***

16. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।

17. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

18. वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।

19. प्रस्तावित वन भूमि हजारीबाग जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत् यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।

20. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा लोकहित में अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.04 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of 132/33 KV G/S/S at Barhi, Village- Khodahar, under transmission circle, Hazaribag 4.04 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.04 ha. Forest land.

Date :- 07.06.2019

Place :- Ranchi.

Signature

7.6.2019

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forest-cum-Executive Director Wasteland Development Board Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)